

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक ~~11~~ मु.व.स./आई.टी./2013-14 / F-17/6337-55 दिनांक 20/12/13

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक, (समस्त)
राजस्थान।

विषय:- राजकीय संस्थान में सोशल मीडिया उपयोग हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है भारत सरकार द्वारा राजकीय संस्थानों में सोशल मीडिया उपयोग करने के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो कि विभागीय वेबसाइट में Forest Acts. & Rules में उपलब्ध है। इसका URL निम्नप्रकार है :-

http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Approved%20Social%20Media%20Framework%20and%20Guidelines%20_2_.pdf

यदि आप द्वारा सोशल मीडिया का राजकीय उपयोग किया जा रहा है तो इन guidelines अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय,

(अरिन्दम तोमर)
मुख्य वन संरक्षक,
सूचना प्रौद्योगिकी,
जयपुर।

क्रमांक / मु.व.स./आई.टी./2013-14 /
प्रतिलिपि :-

दिनांक

- (1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) राजस्थान जयपुर।
- (2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (TREE/WP&FS) राजस्थान जयपुर।
- (3) अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, समस्त।
- (4) उप वन संरक्षक, समस्त।

मुख्य वन संरक्षक,
सूचना प्रौद्योगिकी,
जयपुर।